डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त 2001—श्रावण 11, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 25 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक सन् 2001) है. — **संक्षिप्त नाम.**

2. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा-3 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायें, अर्थात् :— — **धारा-3 का संशोधन.**

"परंतु जीवनकाल कर का उद्ग्रहण, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर, उसमें विनिर्दिष्ट मोटर वाहनों के संबंध में किया जायेगा."

3. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) में शब्द, "धारा 3 की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक" के स्थान पर शब्द "द्वितीय अनुसूची" स्थापित किया जाये. — **धारा-14 का संशोधन.**

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

4. (1) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि चार की मद (घ) के खण्ड (1) के उपखण्ड (एक) (क) तथा (ख), खण्ड (2) के उपखण्ड (एक), खण्ड (3) के उपखण्ड (दो) (क) तथा (ख) तथा खण्ड (4) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"(घ)-ऐसे यान, जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है, नगर मार्गों से भिन्न मार्गों पर प्रक्रम वाहन के रूप में चलाये जा रहे हों —

(1) वातानुकूलित या डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है और जहां एक दिन में यान द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी—

(एक) 100 किलोमीटर से अनधिक -

(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए - रुपये 250 प्रतिसीट प्रति मास

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए - रुपये 200 प्रति सीटप्रति मास

(2) साधारण सेवा के रूप में चलाने के अनुज्ञात यानों की बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है और जहां एक दिन में यान द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी—

(एक) 100 किलोमीटर से अनधिक - रुपये 160 प्रतिसीट प्रति मास

(3) वातानुकूलित/डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए यह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहां अनुज्ञापत्र—

(दो) पारस्परिक करार के बिना प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है—

(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए - रुपये 40 प्रतिसीट प्रति मास प्लस प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रुपये 20 प्रतिसीट प्रति मास.

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए - रुपये 40 प्रतिसीट प्रति मास प्लस प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रुपये 15 प्रतिसीट प्रति मास.

(4) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहां अनुज्ञापत्र—

(दो) पारस्परिक करार के बिना प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है— - रुपये 40 प्रतिसीट प्रति मास प्लस प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके भाग के लिए रुपये 10 प्रतिसीट प्रति मास."

(2) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद चार के उप-मद (च) के खण्ड (1) तथा (6) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

''(1) ऐसे यान, जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लए अनुज्ञात है और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88 की उप-धारा (9) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी किये गये ''ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट'' के अंतर्गत ठेकागाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है—

(क) मेक्सी केब से भिन्न टूरिस्ट यान—

(एक) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-128 के उप-नियम (10) के अधीन निम्नलिखित बैठने की व्यवस्था के साथ वाहनों के लिए—

(क)	दो तथा दो सीट व्यवस्था	-	रुपये 800 प्रतिसीट प्रति मास
(ख)	दो तथा एक सीट व्यवस्था	-	रुपये 950 प्रतिसीट प्रति मास
(ग)	एक तथा एक सीट व्यवस्था	-	रुपये 1250 प्रतिसीट प्रति मास
(दो)	•वातानुकूलित टूरिस्ट बसं (किसी भी अनुज्ञात बैठक व्यवस्था के लिए)	-	रुपये 950 प्रतिसीट प्रति मास

(ख) मेक्सी केब टूरिस्ट यान— - रुपये 125 प्रतिसीट प्रति मास

(6) ऐसे यान जो 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है और जो मोटरयान अधि-नियम,1988 की धारा 87 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मंजूर किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं. (चालक को छोड़कर) प्रतिसीट के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है.	-	अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसके अंतर्गत आने वाली संपूर्ण दूरी के प्रति 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए साधारण बस के लिए 50 पैसे प्रतिसीट और डीलक्स बस के लिए एक रुपये प्रतिसीट जो यथा स्थित खण्ड (ग), (घ), (ङ) या (च) (2) के अधीन संदत्त कर के अतिरिक्त होगा.''

(3) मद चार के उप-मद (छ) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाए, अर्थात :—

''(छ) बिना अनुज्ञापत्र/प्राधिकार के चलाये जा रहे मोटरयान

1. टूरिस्ट यान या डीलक्स बस से भिन्न यान—

(क) 3 से अधिक किन्तु 6 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को को छोड़कर).	-	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपये 125 प्रतिसीट प्रति मास.
(ख) 6 से अधिक किन्तु 12 अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को को छोड़कर).		पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपये 250 प्रतिसीट प्रति मास.

(ग) 12 से अधिक किन्तु 29 से अनाधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)	-	पूर्ण रजिस्ट्रीकृत क्षमता के अनुसार रुपये 600 प्रति सीट प्रति मास.
2. टूरिस्ट यान/डीलक्स बस—		
(क) टूरिस्ट यान मोटर केब	-	रुपये 150 प्रति सीट प्रति मास
(ख) टूरिस्ट यान मेक्सी केब	-	रुपये 3000 प्रति सीट प्रति मास
(ग) मोटर केब एवं मेक्सी केब एवं मेक्सी केब से भिन्न पर्यटक यान/डिलक्स बस.	-	
(i) दो तथा दो सीट व्यवस्था	-	रुपये 1600 प्रति सीट प्रति मास
(ii) दो तथा एक सीट व्यवस्था या वातानुकूलित बस किसी भी व्यवस्था की.	-	रुपये 1900 प्रति सीट प्रति मास
(iii) एक तथा एक सीट व्यवस्था	-	रुपये 2500 प्रति सीट प्रति मास

(4) मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि चार में स्पष्टीकरण (9) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाए अर्थात :—

"स्पष्टीकरण (10)—मद चार की उपमद (च) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) प्रयोजन के लिए टूरिस्ट यान में बैठने की व्यवस्था की अस्तित्व जांच (फिजीकल वेरिफिकेशन) केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 128 के उप-नियम (10) के अधीन कराधान प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्टी की जायेगी और कराधान प्राधिकारी द्वारा या छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 16 के अधीन राज्य राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर इसका सत्यापन किया जायेगा."

(5) मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाएं, अर्थात :— **द्वितीय अनुसूची का संशोधन.**

"द्वितीय अनुसूची

(धारा-3 की उप-धारा-(1) का प्रथम परनतुक)

मोटर यानों का वर्णन (1)	जीवनकाल कर की दर (2)
1. किसी भी प्रकार की लदान रहित वजन की संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोअर साईकिलें.	यान की कीमत का 4 प्रतिशत
2. किसी भी प्रकार की लदान रहित मोटर कारें—	
(क) जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक नहीं है.	यान की कीमत का 5 प्रतिशत
(ख) जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक है.	यान की कीमत का 6 प्रतिशत

	(1)	(2)
3.	अशक्त यात्री गाड़ी	रुपये 360
4.	आटो-रिक्शा तिपहिया (लोक सेवा यान) जो किराया तथा पारितोषिक पर चलाई जा रही है और 6 से अन-धिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है—	
	(क) अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी विभिन्न स्कीमों तथा शर्तों के, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित की जाए, अधीन ऋण लेने के पश्चात् क्रय किये गये तथा उसके स्वामित्व में, के यान.	यान की कीमत का 2 प्रतिशत
	(ख) उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रय किये गये तथा उनके स्वामित्व में, के यान.	यान की कीमत का 5 प्रतिशत
5.	निजी उपयोग के लिए ओमनीबस जिसके बैठने की क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा 12 यात्रियों तक हो.	यान की कीमत का 6 प्रतिशत

स्पष्टीकरण :—

1. यान की कीमत से अभिप्रेत है व्यापारी द्वारा करों सहित वसूल की गई कीमत.

2. उपरोक्त यान के वर्ग के आधार पर जीवन कालिक कर की गणना करने के लिए यान स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह व्यापारी द्वारा दी गई विक्रय रसीद यान के रजिस्ट्रीकरण के समय प्रस्तुत करें.

3. आटो-रिक्शा तिपहिया में लोकप्रिय रूप से मान्य टेम्पो, विक्रम आदि सम्मिलित है.''

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष के 2001-2002 के बजट में किये गये प्रस्ताव अनुसार अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था करने हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में विशिष्ट वर्ग के वाहनों के कर की दरों को युक्तियुक्त करने की दृष्टि से, अखिल भारतीय टूरिस्ट परमिट से आच्छादित टूरिस्ट यानों में बैठक व्यवस्था के आधार पर कर की दर में विभेद करने तथा आटो-रिक्शा पर तिमाही कर के स्थान पर जीवनकाल कर की व्यवस्था लागू करने के लिए, संशोधन करना आवश्यक था.

2. चूंकि, विधान सभा सत्र चालू नहीं था एवं अधिनियम में उपरोक्तानुसार संशोधन करना आवश्यक था. अत: महामहिम राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 3 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया था जिसे वाहनों के बिना परमिट संचालन पर देय कर की दरों में युक्तियुक्तकरण किया जाकर किंचित संशोधन के साथ अधिनियम में परिवर्तित किया जाना है. इसे प्रभावशील करने के लिये अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है.

3. अतएव, यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 1 अगस्त, 2001.

नंदकुमार पटेल
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 धारा 3, 14 प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची के सुसंगत उद्धरण

3. **मोटरयानों पर कर का उद्ग्रहण**—(1) राज्य में उपभोग में लाये गये या राज्य में लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर किया जायेगा :

परन्तु संलग्नकों (अटैचमेंट), सहित या रहित साइकिलों अशक्त यात्री गाड़ियों तथा मोटर कारों की दशा में कर का उद्ग्रहण, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर किया जायेगा :

परन्तु यह और भी किसी ऐसी मोटरयान के संबंध में, जो किसी विनिर्माता से व्यापारी को एक मास से अनधिक की कालावधि के लिये अस्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अधीन राज्य में होकर जा रही है, कर की दर किसी तिमाही के लिये देय कर की एक तिमाही होगी.

(2) किसी परिवहन यान के बारे में जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र चालू है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये यह उपधारण की जाएगी की वह उपयोग में आ रहे हैं या उपयोग के लिये रखा गया है, भले ही परिवहन यान के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र का अवसान क्यों न हो गया हो.

14. **कर की वापसी**—(1) जहां—

(एक) किसी मोटरयान के लिए किसी तिमाही, छहमाही या किसी वर्ष की बाबत कर का संदाय कर दिया गया है और उस मोटरयान का, उस सम्पूर्ण [1]{ मासिक, तिमाही, छहमाही या किसी वर्ष } के दौरान या उसके ऐसे निम्नतर भाग के दौरान जो एक मास से कम न हो, उपयोग नहीं किया गया है और ऐसा उपयोग न किए जाने की विहित प्ररूप में सूचना कराधान प्राधिकारी को ऐसा उपयोग न किया जाने की कालावधि के प्रारंभ होने के पूर्व विहित रीति में दे दी गई हो; या

(दो) यान को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया हो कि जिससे स्वामी उस कर के जिसका कि पहले ही संदाय किया जा चुका है, किसी भाग की वापसी के लिए हकदार हो जाए, वहां कर की वापसी, ऐसी दरों पर तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये की जाएगी जैसे की विहित की जाये;

[2]{ परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाने वाले कारणों से किसी लोक सेवा यान को, जो नियमित अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आता है, मार्ग पर चलाया जाना संभव नहीं हो तो कर की वापसी एक मास से कम कालावधि के लिए, ऐसी सीमा तक और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर की जा सकेगी जैसा कि विहित किया जाय. }

(2) जहां धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन जीवनकाल कर का संदाय उसमें विनिर्दिष्ट किसी यान के संबंध में किया जा चुका है, वहां स्वामी उस जीवनकाल कर की वह रकम जो प्रथम अनुसूची के अधीन देय होती, घटाने के पश्चात् बचने वाली रकम की वापसी का हकदार होगा, यदि वह कराधान प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसा मोटरयान—

(क) स्थायी रूप से राज्य के बाहर हटा दिया गया है और उसे किसी अन्य राज्य के कराधान प्राधिकारी के अभिलेख पर ले आया गया है; या

(ख) नष्ट हो चुका है या उपयोग में लाये जाने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो गया है और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन रद्द कर दिया गया है और ऐसे मोटरयान का उपयोग राज्य में नहीं किया गया है; या

(ग) परिवहन यान के रूप में संपरिवर्तित कर दिया गया है या उसका उपयोग उस रूप में किया गया है और ऐसे मोटरयान का स्वामी उस कर का संदाय करने के लिए दायी हो गया है जो ऐसे परिवहन यान को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन लागू है.

(3) यदि ऐसी वापसी, जिसके लिए उपधारा (2) के अधीन कोई हकदार हो गया है, वापसी के लिए आवेदन अपेक्षित सबूत के साथ किए जाने से एक मास के भीतर नहीं की जाती है तो स्वामी, वापसी की रकम पर ब्याज ऐसी दर से प्राप्त करने के लिए हकदार होगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें.

प्रथम अनुसूची

[धारा 3 की उपधारा (1)]

मोटरयान का वर्ग (1)	मोटरयानों के लिये तिमाही कर की दर (2)
चार-लोक सेवा यान—	
[2]{(घ) छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात तथा शहर मार्गों से भिन्न मार्गों पर मंजिली गाड़ी के रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात यान—	

(1) वातानुकूलित सेवा या डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों की बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है और जहां एक दिन में यान द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी—

(एक) 100 किलोमीटर से अधिक नहीं है—

(क) वातानुकूलित सेवा/डीलक्स सेवा के लिए	रु. 200.00 प्रतिसीट प्रति मास
(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए	रु. 165.00 प्रतिसीट प्रति मास

(1)	(2)
(दो) उसके पश्चात् प्रत्येक 10 किलोमीटर या उसके/भाग के लिए—	
(क) वातानुकूलित सेवा/डीलक्स सेवा के लिए	रु. 20.00 प्रतिसीट प्रति मास.
(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए	रु. 15.00 प्रतिसीट प्रति मास.

(2) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों की बावत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया हो और जहां एक दिन में यान द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी—

(एक) 80 किलोमीटर से अधिक नहीं है	रु. 115.00 प्रतिसीट प्रति मास
(दो) उसके पश्चात् प्रत्येक 10 किलोमीटर के लिए	रु. 10.00 प्रतिसीट प्रति मास

(3) वातानुकूलित सेवा/डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिये अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहां अनुज्ञापत्र—

(एक) किसी पारस्परिक करार से अधीन प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है—	
(क) वातानुकूलित सेवा/डीलक्स सेवा के लिये	प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिये 20.00 प्रतिसीट प्रति मास.
(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिये या उसके भाग के लिये	प्रत्येक 10 कि.मी. 15.00 प्रतिसीट प्रति मास
(दो) पारस्परिक करार के बिना प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है—	
(क) वातानुकूलित सेवा/डीलक्स सेवा के लिये	रु. 20.00 प्रतिसीट प्रति मास + 20.00 प्रतिसीट प्रति मास प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिये.
(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिये	रु. 20.00 प्रतिसीट प्रति मास + 15.00 प्रतिसीट प्रति मास प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिये.

(4) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिये अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिये जिसे ले जाने के लिये वह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहां अनुज्ञापत्र—

(एक) किसी पारस्परिक करार के अधीन प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है—	प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिये रु. 10.00 प्रतिसीट प्रति मास.
(दो) पारस्परिक करार के बिना प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है—	रु. 20.00 प्रतिसीट प्रति मास + प्रत्येक 10 कि.मी. या रु. 10.00 प्रतिसीट प्रति मास उसके भाग के लिये.

[1]{ (च) ठेका गाड़ी (कान्ट्रेक्ट कैरेज) }

(1)	(2)
(1) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिये अनुज्ञात है, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी किये गये "ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट" के अंतर्गत ठेकागाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिये जिसे ले जाने के लिये वह यान अनुज्ञात है—	रु. 600.00 प्रतिसीट प्रति मास
(6) ऐसे यान जो छह से अधिक यात्रियों के ले जाने के लिये अनुज्ञात है और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मंजूर किये गये अस्थाई अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं. (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिये जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है.	अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसके अंतर्गत आने वाली संपूर्ण दूरी के प्रति 10 कि.मी. या उसके भाग के लिये साधारण बस के लिये तीस पैसे प्रतिसीट और डीलक्स बस/वातानुकूलित बस के लिये पचास पैसे प्रतिसीट जो यथास्थिति, खण्ड (ग), (घ), (ङ) या (च) (2) के अधीन संदत्त कर के अतिरिक्त होगा.
(छ) बिना अनुज्ञापत्र के चलाये जा रहे मोटरयान—	रु. 600.00 प्रतिसीट प्रति मास संपूर्ण रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता के अनुसार. रु. 1000.00 प्रतिसीट प्रति मास संपूर्ण रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता के अनुसार.

[2]{ स्पष्टीकरण (9)—मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के धारक द्वारा ऐसे अनुज्ञापत्र पर चलाये जाने के लिये प्राधिकृत बसों की बाबत देय कर—

(एक) बसों की ऐसी संख्या के लिये जो धारित पत्रों के अंतर्गत आने वाले समस्त मार्गों पर किसी भी दिन सेवा बनाये रखने हेतु चलाने के लिये अपेक्षित हो, उपमद (घ) के अधीन; तथा

(दो) बसों की शेष संख्या का बाबत उपमद (ङ) के अधीन, ऐसी बसों की औसत बैठने की क्षमता के आधार पर संगणित किया जायेगा. }

द्वितीय अनुसची

[धारा 3 की उपधारा (1) का प्रथम परन्तुक]

मोटरयानों का वर्णन (1)	जीवन काल कर की दर (2)
[2]{(1) संलग्नको (अटैचमेन्ट) सहित या रहित मोटर साइकिलें जिनका लदान रहित वजन—	यान के मूल्य (कास्ट) का
(एक) 70 किलोग्राम से अधिक नहीं है	3 प्रतिशत
(दो) 70 किलोग्राम से अधिक है	3 प्रतिशत
(2) मोटर कारें जिनका लदान सहित वजन—	
(एक) 800 किलोग्राम से अधिक नहीं है	3 प्रतिशत
(दो) 800 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 1600 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है	3 प्रतिशत
(तीन) 1600 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 2400 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है	3 प्रतिशत
(चार) 2400 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 3200 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है	3 प्रतिशत
(पांच) 3200 कि.ग्रा. से अधिक है	3 प्रतिशत

¹ { स्पष्टीकरण—(1) यान का मूल्य (कास्ट) से अभिप्रेत है व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मूल्य,

(2) उपरोक्त वर्ग के यानों के मूल्य (कास्ट) के आधार पर जीवन-काल-कर की संगणना करने के लिये, यान के स्वामी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह रजिस्ट्रीकरण के समय व्यापारी द्वारा की गई विक्रय रसीद प्रस्तुत करें.

(3) निजी उपयोग के लिये रजिस्ट्रीकृत ओमनी बस जिसकी बैठक क्षमता 6 से अधिक तथा 12 तक (चालक को छोड़कर)	यान के मूल्य का 3 प्रतिशत
(4) अशक्त यात्री गाड़ी	रु. 360.00

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.